सत्यनारायण — सुरजाराम आदि अ.नं. 53/22

क	आज्ञा पत्र	
..7.24	पत्रावली पेश। अपील उभय पक्ष उप. वास्ते बहस। दिनांक 16.7.24 को पेश हो।	मू.प्रबन्ध अधिकारी एव पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर
16.7.24	पत्रावली पेश। अपील उभय पक्ष उप. वास्ते बहस। दिनांक 16.8.24 को पेश हो।	मू.प्रबन्ध अधिकारी एव पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर
16.8.24	पत्रावली पेश। अपील उभय पक्ष उप. वास्ते बहस। दिनांक 1.10.24 को पेश हो।	मू.प्रबन्ध अधिकारी एव पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर
1.10.24	पत्रावली पेश। अपील उभय पक्ष उप. वास्ते बहस। दिनांक 16.10.24 को पेश हो।	मू.प्रबन्ध अधिकारी एव पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर मू.प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर
16.10.24	पत्रावली पेश। बहस उभयपक्ष सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 22.10.24 को पेश हो। मू.प्रबन्ध अधिकारी एव पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर	
22/10/24	पत्रावील पेश । अपील अपीलांट खारिज की जाती है। निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो। मू.प्रबन्ध अधिकारी एव पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर	

न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 59/2022

1 सत्यनारायण उर्फ ताना पुत्र हेमा उम्र 70 साल जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम ढाबावाली तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज.।

अपीलांट

बनाम

1 सुप्यार बेवा मोतीलाल उम्र 78 साल
2 अर्जुनलाल पुत्र स्व. मोतीलाल उम्र 62 साल
3 गोकुलचन्द पुत्र मोतीलाल उम्र 58 साल
समस्त जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम ढाबावाली तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज.।
4 मोहनलाल पुत्र प्रहलाद पौत्र रामेश्वर उम्र 63 साल
5 नागरमल पुत्र प्रहलाद पौत्र रामेश्वर उम्र 58 साल
6 सांवरमल पुत्र प्रहलाद पौत्र रामेश्वर उम्र 53 साल
7 सीताराम पुत्र प्रभुदयाल पौत्र रामेश्वर उम्र 56 साल
समस्त जाति ब्राह्मण निवासीगण ग्राम सिमारला (कोटडी) तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।
8 भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर।

रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 22.05.2018
मु.नं. 62/2014 बीटी नम्बर 40222017 सुप्यार आदि
बनाम सत्यानारायण आदि न्यायालय सहायक कलेक्टर
(फास्ट ट्रे.) श्रीमाधोपुर जिला सीकर कैम्प सिहोड़ी
अपील अन्तर्गत धारा 223 आर.टी.एक्ट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

उपस्थिति :

1. श्री छगनसिह गुर्जर, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री संदीप दिक्षित, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

–निर्णय–

दिनांकः– 22.10.24

यह अपील विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर श्रीमाधोपुर द्वारा मुकदमा नम्बर 62/2014 में पारित निर्णय दिनांक 22.05.2018 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय ने वादीगण रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 लगायत 3 ने एक वाद घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत भूमि खसरा नम्बर 161 वाके ग्राम ढाबावाली तहसील श्रीमाधोपुर का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वादी डिकी कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने खसरा गिरदावरी संवत 2009 से 2012, 2013 से 2016, 2019, 2031 से 2033 प्रदर्श 4 से 6 एवं लगान रसीद प्रदर्श 7/1 से 7/11 को आधार मानकर अपना निर्णय व डिकी पारित की है जबकि न तो उक्त दस्तावेज में किए गए इन्द्राजात का विवेचन किया ना ही उक्त दस्तावेज वाद डिकी करने में किस प्रकार सहायक थे के बाबत कोई विश्लेषण किया ना ही खसरा गिरदावरी के आधार पर वाद स्वीकार करने का कोई कानूनी प्रावधान है उसके बावजूद भी विधि के विपरित निर्णय व डिकी पारित किया गया है। विचारण न्यायालय के समक्ष वादीगण ने वाद प्रस्तुत करते हुए अभिकथित किया कि भूमि खसरा नम्बर 161 रकबा 1.50 हैक्टेयर वाके ढाबावाली तहसील

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधि
सीकर

श्रीमाधोपुर जिला सीकर पर वादीगण 1/3 हिस्से पर प्रतिवादी संख्या 1 हिस्सा 1/3 पर व 1/3 हिस्से पर पूनम देवी काबिज काश्त है तथा इसी अनुरूप वादीगण ने अपने शपथ पत्र प्रस्तुत किए। उसके बावजूद भी अपीलांट/प्रतिवादी संख्या 1 के नाम अंकित खातेदारी में से 1/2 हिस्से का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किए जाने का वाद डिक्री करके निर्णय पारित कर गंभीर कानूनी त्रुटि की गयी है। वादीगण ने अपना वाद पत्र न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर के समक्ष पेश किया था जो स्थानान्तरित होकर दिनांक 02.06.2017 को न्यायालय सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर के न्यायालय में प्रस्तुत हुआ, जबकि दिनांक 02.06.2017 से पहले की आदेशिका दिनांक 03.05.2017 में वाद अन्य न्यायालय में ट्रांसफर किए जाने की आदेशिका नहीं है ना ही वाद ट्रांसफर किए जाने की आदेशिका नहीं है ना ही वाद ट्रांसफर किए जाने बाबत पक्षकारों व अधिवक्ता को सूचना दिए जाने का विवरण है ना ही वाद अन्य न्यायालय में स्थानान्तरित होने की अपीलांट को कोई सूचना दी गयी है। विचारण न्यायालय के समक्ष वादीगण ने अपने वाद पत्र में वादग्रस्त भूमि में 1/3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1/अपीलांट का होना मान्य किया है तथा प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 जो रामेश्वर पुत्र रूघा के वारिसान है का कोई कब्जा काश्त नहीं होना अभिकथित किया ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय को रामेश्वर पुत्र रूघा के नाम अंकित खातेदारी को हजफ किया जाकर उस 1/3 हिस्से का खातेदार वादीगण को घोषित करना चाहिए था जबकि अपीलांट के पिता के नाम अंकित खातेदारी 1/3 में से 1/2 का खातेदार काश्तकार घोषित करने की कानूनी भूल की है। जानकारी से अंदर मियाद अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत नहीं है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि वादीगण ने अपने वादपत्र के समर्थन में जमाबन्दी सम्वत 2068–2071 प्रदर्श–1, मिलान क्षेत्रफल

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

प्रदर्श–2, खसरा गिरदावरी सम्वत 2009 से 2012 प्रदर्श–3, खसरा गिरदावरी संवत 2013 से 2016 प्रदर्श–4, खसरा गिरदावरी संवत 2019 प्रदर्श–5, खसरा गिरदावरी संवत 2031 से 2033 प्रदर्श–6, लगान रसीद कुल 11 प्रदर्श–7/1 से 7/11, मोतीलाल का मृत्यु प्रमाण पत्र प्रदर्श–8 ए, जमाबन्दी संवत 2017 से 2020 पेश किये है। विचारण न्यायालय में वादी द्वारा घोषणा का वाद प्रस्तुत किया गया था। विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से बाद सुनवाई विस्तृत विवेचन कर विचाराधीन निर्णय से वाद वादी डिक्री किया है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। विचारण न्यायालय में अपीलांट की जरिये रजिस्ट्री तामील हुई है। बाद तामील उपस्थित नहीं होने पर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई है। अपीलांट की अपील मियाद बाहर है। विलम्ब का दिन प्रतिदिन का संतोषप्रद कारण अंकित नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट धारा 5 का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुए अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 5 स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कंडोन किया जाता है।

जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय में पत्रावली में दस्तावेज प्रस्तुत करने का अंकन तो किया है किन्तु इन दस्तावेजों के अंकन से वाद वादी किस प्रकार साबित है इसका कोई विवेचन नहीं किया है। विचारण न्यायालय में अपीलांट के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई है। स्पष्ट है कि अपीलांट को साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्राप्त नहीं हुआ है। विवादित भूमि अपीलांट के पिता हेमा की खातेदारी में थी इसके उपरांत अपीलांट के नाम दर्ज रहीं है। ऐसी स्थिति में रिकार्डेड खातेदार को साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना, पत्रावली

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

में प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य का विवेचन किए बिना पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि अपीलांट का जवाब दावा प्राप्त कर तनकी कायम कर साक्ष्य प्राप्त कर बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 29.11.2024 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 22.10.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
सत्यमेव जयते
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

नारायण सिंह - सीताराम प्र.सं.: 62/18

दिनांक	आज्ञा पत्र	
1[illegible].8.24	पत्रावली पेश। वकील उभय पक्ष उप। रेस्पो. 4 की ओर से श्री रामनिवास रंगल ने वकालतनामा पेश किया शामिल रहे। बहस दिनांक 2.9.24 को पेश हो। [illegible]	मू-प्रबन्ध अधिकारी एव पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर
2.9.24	पत्रावली पेश। वकील उभय पक्ष उप। बहस दिनांक 19.9.24 को पेश हो। [illegible]	मू-प्रबन्ध अधिकारी एव पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर
19.9.24	पत्रावली पेश। वकील उभय पक्ष उप। बहस दिनांक 23.9.24 को पेश हो। [illegible]	मू-प्रबन्ध अधिकारी एव पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर
23.9.24	पत्रावली प्रस्तुत अभिभाषक संघ ने आज न्यायिक कार्य स्थगित रखा। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 1.10.24 को पेश हो।	
1.10.24	पत्रावली प्रस्तुत अभिभाषक संघ ने आज न्यायिक कार्य स्थगित रखा। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 4.10.24 को पेश हो।	
4/10/24	पत्रावली पेश। बहस उभयपक्ष सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 15/10/24 को पेश हो। [illegible] मू-प्रबन्ध अधिकारी एव पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर	
15/10/24	पत्रावील पेश । अपील अपीलांट रिमाण्ड की जाती है। निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय खुले इजलास सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो। [illegible] मू-प्रबन्ध अधिकारी एव पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर	

न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 62/2018

1 नारायण सिंह उम्र 61 साल पुत्र स्व. भींवाराम
2 सुरेन्द्र कुमार उम्र 40 साल पुत्र फूल सिंह
समस्त जाति जाट निवासीगण ग्राम नानी तहसील व जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 सीताराम उम्र 55 साल पुत्र भींवाराम जाति जाट निवासी ग्राम नानी तहसील व जिला सीकर राज.।
2 नगर सुधार न्यास सीकर जिला सीकर।
3 तहसीलदार सीकर तहसील व जिला सीकर।
4 सुरेश पुत्र फुल सिंह जाति जाट निवासी ग्राम नानी तहसील व जिला सीकर राज.।

रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्त. अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय दिनांक 22.06.2018 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर पीठासीन अधिकारी सुश्री जुही भार्गव आरएएस बउनवानी सीताराम बनाम नारायण सिंह बिना नम्बर प्रकरण 52/2018 अन्तर्गत धारा 212 रा.का.अधि.

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

उपस्थिति :

1. श्री प्रभातीलाल, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री हेतराम मील, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट
3. श्री भंवरलाल बिजारणियां, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट
4. श्री रामनिवास रायल, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

—निर्णय—

दिनांकः—15.10.24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर द्वारा मुकदमा नम्बर 52/2018 में पारित निर्णय दिनांक 22.06.2018 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 ने एक प्रार्थना पत्र धारा 212 बाबत भूमि खसरा नम्बर 719, 729, 731, 732, 743, 744, 1472/728, 1498/868, 730 वाके ग्राम नानी तहसील व जिला सीकर का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने दिनांक 20.06.2018 को संयुक्त खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 719, 729, 731, 732, 743, 744, 1472/728, 1498/868 कुल किता 8 कुल रकबा 4.85 हैक्टेयर एवं राजकीय भूमि खसरा संख्या 730 रकबा 0.16 हैक्टेयर वाके ग्राम नानी जिला सीकर के संबंध में अर्न्तनिहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए आगामी सुनवाई तक मौके की यथास्थिति का आदेश पारित कर दिया था जिसमें आदेश 39 नियम 3 (क) सीपीसी के प्रावधानों की

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

पालना सुनिश्चित करने के लिए रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को आदेशित किया था एवं आदेश 39 नियम 3(क) सीपीसी के प्रावधानों की पालना नहीं करने पर अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा को संशोधित/वैकेट करने की हिदायत दी थी एवं तारीख पेशी दिनांक 30.05.2018 नियत की थी परन्तु विचारण न्यायालय ने ही दिनांक 22.06.2018 को अपीलान्टस को बिना सुनवाई का समुचित अवसर दिये एवं बिना नोटिस जारी किये रिकार्ड व मौका की यथास्थिति बनाये रखने का चुनौतीग्रस्त निर्णय पारित कर दिया जो कि विधिक प्रकिया का दुरूपयोग है एवं आरबीट्रेरी निर्णय है। वादपत्र अथवा अस्थायी निषेधाज्ञा के आवेदन को निर्णित करने की प्रकिया का पालना करना आज्ञापक कानूनी प्रावधान है अर्थात अप्रार्थीगण को सुनवाई का अवसर देने के लिए हैतुक दर्शित करने का नोटिस दिया जाना व जवाब आने के पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनकर ही गुणावगुण पर स्थगन आदेश को निर्णित किया जा सकता है। जिसमें प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति के बिन्दू अस्थायी निषेधाज्ञा का आवेदन को निर्णित किया जाना आवश्यक है परन्तु विचारण न्यायालय ने सहमति से डिक्री जारी करने का चुनौतीग्रस्त निर्णय में अंकन करके रिकार्ड व मौका की यथास्थिति का आदेश पारित कर दिया। जबकि खसरा संख्या 730 रकबा 0.16 हैक्टेयर सरकारी भूमि होकर प्राथमिक डिक्री का हिस्सा ही नहीं है। फिर भी विचारण न्यायालय के पीठासीन अधिकारी ने मनमोजीपन से चुनौतीग्रस्त निर्णय पारित कर दिया। जो कि विधि के प्रावधानों के विपरीत होने के कारण चुनौतीग्रस्त आदेश अपास्त किया जाना प्रार्थनीय है। कृषि भूमि खसरा संख्या 719, 729, 731, 732, 743, 744, 1472/728, 1498/868 कुल किता 8 कुल रकबा 4.85 हैक्टेयर वाके ग्राम नानी की भूमि अपीलान्टस एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 एवं सुरेश कुमार पुत्र फूलसिंह की संयुक्त खातेदारी की भूमि है तथा रिकार्डेड सहखातेदार को बिना किसी उचित कारण के रिकार्ड व मौके की यथास्थिति हेतु प्रतिबंधित किया जाना न्याय संगत नही है। ना ही सहखातेदार को प्रतिबंधित किया जा सकता है तथा संयुक्त खातेदारी की भूमि के विवाद को समाप्त करने के लिए एकमात्र उपाय

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

बाईमिट्स एण्ड बाउण्डस विभाजन की है अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किया जाना न्याय संगत नहीं है। इसलिए चुनौतीग्रस्त निर्णय को खारिज किया जाना प्रार्थनीय है। विचारण न्यायालय ने खसरा संख्या 730 रकबा 0.16 हैक्टेयर राजकीय भूमि (गैर मुमकिन आबादी) के अतिक्रमी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को नाजायज लाभ पहुचाने के लिए चुनौतीग्रस्त निर्णय पारित कर दिया। जबकि विधि सम्मत कार्यवाही को स्थगन के जरिये रोकने का कोई कानूनी प्रावधान नहीं है अर्थात न्यायालय तहसीलदार सीकर द्वारा पत्रावली संख्या 56/2016 बउनवानी सरकार बनाम सीताराम में दिनांक 20.09.2016 को पारित निर्णय को रोकने एवं नगर सुधार न्यास सीकर व तहसीलदार सीकर को भी रिकार्ड व मौका की यथास्थिति बनाये रखने के लिए प्रतिबंधित किया जाने का भी आरबीट्रेरी निर्णय पारित किया है एवं चुनौतीग्रस्त निर्णय के द्वारा न्यायिक कार्यवाही में अवरोध पैदा किया है। जिसका विचारण न्यायालय को क्षेत्राधिकार नहीं था इसलिए भी चुनौतीग्रस्त निर्णय खारिज किया जाना प्रार्थनीय है। अतः अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि प्रस्तुत प्रकरण में उभयपक्ष की सहमति से विचारण न्यायालय द्वारा विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी की जा चुकी है। वाद के साथ प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा आवेदन में ताफैसला वाद विचाराधीन निर्णय से उभयपक्ष को विवादित भूमि की मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने से पाबंद किया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा अंतिम डिक्री जारी होने तक उभयपक्ष को मौके व रिकार्ड की यथास्थिति से पाबंद किये जाने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। इस स्थगन से किसी भी पक्षकार के हित प्रभावित नहीं होते है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में पत्रावली अप्रार्थीगण की तामील में चल रही थी। विचारण

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

न्यायालय में तामील पूर्ण किये बिना साक्ष्य लिये बिना सुनवाई किए बिना प्रथम दृष्टया मामला सुविधा का संतुलन एंव अपूरणीय क्षति के बिन्दु पर विवेचन किए बिना विधिक प्रक्रिया की पालना किये बिना विचाराधीन निर्णय पारित किया है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि विधिक प्रक्रिया की पालना कर बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 29.11.2024 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 15.10.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर